अनुसार प्रदूषण अवरोधक संयंत्र लगा लें, जिसके न करने पर इन इकाइयों को बन्द कर दिया जायेगा ;

(ख) उच्चतम न्यायालय के निदेश का पालन कितनी इकाइयों ने किया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पर्यावरण और वन विभाग ने दिनांक 12 फरवरी, 1992 की अपनी अधिसूचना द्वारा प्रदूषण फैलाने वाली उपरोक्त औद्योगिक इकाइयों को ऐसे संयंत्र लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि से एक दो वर्षों तक की अवधि और प्रदान की थी, यदि हां, तो ऐसी इकाइयों के नाम क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) और (ख) सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिनांक 10 दिसम्बर, 1991 के निर्णय द्वारा आदेश दिया है कि गंगा नदी के तट पर स्थित सभी उद्योग पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रदूषण निवारण उपकरण लगाने संबंधी अनुदेश का अनुपालन करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में 15 जनवरी, 1992 तक शपथ पत्र दायर कर दें। आगे यह भी उल्लेख किया गया था कि जो उद्योग प्रदूषण निवारण के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा सके हैं उन्हें बन्द करने के आदेश दिए जाएं। किन्तु ज्यादातर इकाइयों द्वारा इन निदेशों का निश्चित तिथि तक अनुपालन नहीं कर पाने के कारण उच्चतम न्यायालय ने इन इकाइयों द्वारा शपथ पत्र जमा कराने की समय सीम को बढ़ा दिया था।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 12 फरवरी, 1992 को एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा 15 मई, 1981 से 31 दिसम्बर, 1993 के दौरान प्रारंभ किए गए उद्योगों द्वारा बहिःस्राव उपचार संयंत्र पूरा करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई समय सीमा की अवधि को 30-11-92 तक बढ़ा दिया था। 16 मई, 1981 से पूर्व जिन उद्योगों ने अपना उत्पादन शुरु कर दिया था उनके लिए समय-सीमा 31 दिसम्बर, 1992 तक इस शर्त के साथ दी जाएगी कि वे संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संतुष्ट करते हुए समयबद्ध तरीके से बहिःस्राव उपचार सुविधाओं पर वास्तविक कार्य शुरू करने के लिए ठोस कदम उठाएगे। उपरोक्त अधिसूचना उन उद्योगों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने वास्तविक कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया है और चरणबद्ध रूप से बहिः स्राव उपचार संयंत्र के लिए ठोस प्रमाण नहीं दिखाए है। उपरोक्त अधिसूचना सामान्य प्रकृति की और अधिकार प्रदान करने वाली है न तो यह विशिष्ट उद्योग या क्षेत्र से संबंधित है और न ही किसी उद्योग को अपने आप से विस्तार प्रदान करती है।

मध्य प्रदेश में बंजर पहाड़ एवं पठार

847. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वृक्षविहीन पहाड़ एवं पठार कितने क्षेत्र में फैले हैं, और

(ख) क्या इन पहाड़ों एवं पठारों पर वनरोपण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है और क्या ऐसी योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) मध्य प्रदेश में पर्वतों और पठारों को मिलाकर दर्ज किया गया वन क्षेत्र 155414 वर्ग किलोमीटर है।

(ख) मध्य प्रदेश में राज्य और केन्द्र सरकार की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत वनीकरण किया जाता है। जहां तक राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का संबंध है, मध्य प्रदेश

को पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत पहाड़ों और पठारों सहित परती भूमि पर वनीकरण करने के लिए सहायता दी गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम सं०	स्कीम का नाम	दी गई धनराशि (लाख रुपए)		
		1989-90	1990-91	1991-92
1	समेकित परती भूमि विकास परियोजना	5.00	244.64	299.84
2	विकेन्द्रित जन पौधशालाएं	100.74	302.30	45.00
3	स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान सहायता	3.52	7.19	5.61
4	क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना	3.97	85.00	172.09
5	हवाई बीजारोपण	19.50	14.38	21.15
6	लघु वनोपज	—	23.00	10.00

Driving Fossil Helps Aids Cure

848. SHRI SHIV PRATAP MISHRA . Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the Indian Express, New Delhi dated 22nd April, 1992 under the caption 'Driving fossil helps AIDS cure' according to which a crab found in Orissa has marvellous medicinal properties ; and

(b) if so, the action Government propose to take to protect this crab ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) Yes, Sir. A news item captioned 'Living 'fossil helps AIDS cure' appeared in the Indian Express, New Delhi, dated the 22nd April, 1992.

(b) The horse-shoe crab, which is the species referred to in the news item mentioned above, is not listed in any of the Schedules to the Wild Life (Protection) Act, 1972. However, the protection available to flora and fauna from pooching and other disturbances in the coastal and mangrove protected areas like sanctuaries and national parks, including the Sunderban Tiger Reserve, set up along the West Bengal and Orissa coasts, the notification issued by the Government of India under the Environment (Protection) Act, 1986, declaring coastal stretches as coastal regulation zones and regulating activities in the zone, which is aimed at protecting ecologically sensitive coastal and mangrove ureas from various development activities and the monitoring of coastal and marine pollution, help in conserving and protecting the horse-shoe crabs.

Setting Up of National Environment Tribunal

849. SHRI SURESH KALMADI :

DR. ABRAR AHMED : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether the proposed National Environment Tribunal has since been set up;

(b) if not, the reasons for the delay ; and

(c) whether Government are considering to set up various benches of the Tribunal